अनुदान संख्या 42 – प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 42–DIRECT TAXES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
प्रभारित-	*Charged–*	*2,00*	*27*	*–1,73*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*1,23*
स्वीकृत-	Voted–	1210,82,00	1050,25,94	–160,56,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			136,58,55
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted–			
मूल	Original 115,50,00	115,51,00	16,18,46	–99,32,54
पूरक	Supplementary 1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			96,74,95

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2020'' आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	112743.00	99084.45	95871.59	–3212.86
पु.	R.	–13658.55			

(I) 60.00 लाख रु. का प्रावधान एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs. 60.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) "संग्रहण प्रभार - आयकर" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "आयुक्त तथा उनके कार्यालय"- 18130.42 लाख रु. की बचत (114312.85 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ किए जा रहे व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अधिप्राप्त किए गए कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "आयकर तथा धनकर के मामलों के लिए समझौता आयोग"- 122.44 लाख रु. की बचत (579.02 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने तथा किराए के संशोधन के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

2. उपुर्यक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत "निदेशन तथा प्रशासन" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) "अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन"- 708.91 लाख रु. का अधिक व्यय (2485.08 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहले ही पूरे किए जा चुके मुद्रण कार्यों के संबंध में विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों के बिलों का समाशोधन किए जाने, क्योंकि इस संबंध में भुगतान में विलंब होने पर दंडस्वरूप ब्याज लग जाता, पीएएन (पेन) की वैधानिक आवश्यकताओं के संबंध में प्रचार पर व्यय में वृद्धि होने, 'एक बटा छः (वन-बाई-सिक्स) स्कीम' के प्रचार सहित कर आधार को बढ़ाने के लिए जारी किए गए गहन प्रचार अभियान पर और कर अपवंचन के विरुद्ध प्रचार पर व्यय होने के कारण हुआ।

(II) "संगठन और प्रबंधन सेवाएं"- 1593.82 लाख रु. का अधिक व्यय (860.55 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयकर विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम पर व्यय में वृद्धि होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under "Collection charges - Income Tax"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Commissioners and their offices"- saving of Rs.18130.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.114312.85 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-payment to suppliers/vendors in respect of computer hardware/software being procured under the comprehensive computerisation programme undertaken by Income Tax Department.

(B) "Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax cases" - saving of Rs.122.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.579.02 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of proposals for revision of rent.

2. The above savings were partly offset by excess under "Direction and Administration" - under the following heads:-

(I) "Research, Statistics and Publication"- excess of Rs.708.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2485.08 lakhs) was due to clearance of bills of various Government Presses in respect of printing jobs already completed as delay in payments in this regard would have attracted penal interest, increased expenditure on publicity about legal requirements of PAN and expenditure on the on-going intensive publicity campaign for widening of tax base including publicity of 'One-by-Six' scheme and publicity against tax evasion.

(II) "Organisation and Management Services" - excess of Rs.1593.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.860.55 lakhs) was due to increased expenditure on computerisation programme of Income Tax Department.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059'' लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	8500.00	1444.30	1268.05	–176.25
पु.	R.	–7055.70			
मुख्य शीर्ष "4075'' विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	500.00	167.85	163.48	–4.37
पु.	R.	–332.15			
मुख्य शीर्ष "4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2550.00	263.90	186.93	–76.97
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–2287.10			

(I) मुख्य शीर्ष "4059'' - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 7231.95 लाख रु. की बचत (8500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संवीक्षा के लिए संशोधित और अधिक कठोर मानदंडों के अपनाए जाने के कारण संपत्तियों की खरीद के लिए कम संख्या में प्रस्तावों को अनुमति प्रदान किए जाने, तैयार निर्मित कार्यालय आवास की खरीद के लिए प्रस्ताव में आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा न किए जाने से अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4059"- "Office Buildings- Other Expenditure- Acquisition of Ready built Accommodation"- saving of Rs.7231.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8500.00 lakhs) was due to clearance of lesser number of proposals for purchase of properties on account of adoption of revised and more stringent norms for scrutiny and non-payment on account of non-completion of necessary formalities in the proposal for purchase of ready-built office accommodation.

(II) मुख्य शीर्ष "4075'' - "आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के अधीन अचल संपत्तियों का अधिग्रहण''

(II) Under Major Head "4075" – "Acquisition of immovable properties under chapter XXC of Income Tax Act, 1961"- saving of Rs.336.52 lakhs

के अंतर्गत 336.52 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग की धारा 269 यूओ को समाप्त किए जाने के बाद अचल संपत्ति की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - आयकर कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 2364.07 लाख रु. की बचत (फरवरी 2004 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2551.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संवीक्षा के लिए संशोधित और अधिक कठोर मानदंडों के अपनाए जाने से संपत्तियों की खरीद के लिए कम संख्या में प्रस्तावों को अनुमति प्रदान किए जाने तथा तैयार निर्मित रिहायशी आवास की खरीद के लिए प्रस्तावों में आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा न किए जाने से अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-purchase of immovable property after abolition of Section 269 UO of the chapter XX-C of IT Act, 1961.

(III) Under Major Head "4216"- "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Ready built Flats"- saving of Rs.2364.07 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2551.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in February, 2004) was due to clearance of lesser number of proposals for purchase of properties on account of adoption of revised and more stringent norms for scrutiny and non-payment on account of non-completion of necessary formalities in the proposals for purchase of ready built residential accommodation.